न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –214 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016 / 00379

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

कालूराम आत्मज बिरधा जाति हरिजन निवासी सातलखेड़ी तहसील रामगंज़मण्डी जिला कोटा राज0
––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–
1 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 17/ 02 / 2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम निमाना के आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 89 रकबा 2.55 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटनं नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गयां, नोटिस अदम तामिल प्राप्त तामिली रिपोर्ट अनुसार कालू / बिरधा गांव में नहीं रहना बताया है । अप्रार्थी की तामिल नहीं होने पर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.6.2022 प्राप्त की गई जिस अनुसार अप्रार्थी आवंटी ग्राम निमाना में निवास नहीं करता है तथा 25 वर्ष पूर्व सातलखेडी में निवास करना बताया है तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना बताया है । प्रकरण में मौका रिपोर्ट एवं तामिली रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाने हेतु अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम निमाना तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 89 रकबा 2.55 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी गांव में निवास नहीं करने तथा पटवारी हल्कां की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.6.2022 से यह स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 88 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 89 रकबा 2.55 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी गांव में निवास नहीं करने तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 2.6.2022 से यह स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम निमाना तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.01 हे0, खसरा नम्बर 89 रकबा 2.55 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा